<u>दिनांक 23 दिसंबर 2021 को सुबह 11 बजे सम्मेलन कक्ष, बराद सदन, शैक्षणिक खंड में आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 39वीं बैठक का कार्यवृत्त</u>

दिनांक 23 दिसंबर 2021 को सुबह 11 बजे सम्मेलन कक्ष , बराद सदन, शैक्षणिक खंड में कार्यकारिणी परिषद की 39वीं बैठक आयोजित की गयी। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :

1. प्रो. अविनाश खरे - अध्यक्ष
   कुलपति
2. प्रो. मनेश चौबे - सदस्य
   डीन, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ
3. प्रो. संजय दाहाल - सदस्य
   डीन, भौतिक विज्ञान विद्यापीठ
4. प्रो. एस.एस. महापात्र - सदस्य
   डीन, व्यावसायिक अध्ययन विद्यापीठ
5. प्रो. लक्ष्मण शर्मा - सदस्य
   छात्र कल्याण डीन
6. श्री के.वी.एस.कामेश्वर राव - सचिव
   कुलसचिव

निम्नलिखित सदस्य ऑनलाइन विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में उपस्थित रहे :

7. प्रो. गुरमीत सिंह - सदस्य
   कुलपति
   पॉण्डिचेरी विश्वविद्यालय
8. प्रो. बिद्युत चक्रबर्ती - सदस्य
   कुलपति
   विश्व-भारती
9. प्रो. रमेश कुमार यादव - सदस्य
   कुलपति
   बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय
10. श्री जी.पी. उपाध्याय - सदस्य
    अपर मुख्य सचिव
    शिक्षा विभाग
    सिक्किम सरकार
11. प्रो. एच.सी.एच. राठोर - सदस्य
    पूर्व कुलपति
    दक्षित बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय
12. प्रो. कृष्ण कुमार - सदस्य
    अध्यक्ष, भौतिकी विभाग
    आईआईटी खड़गपुर

13. प्रो. महेंद्र सिंह सेवेदा - सदस्य
    प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
    अक्षय ऊर्जा इंजीनियरिंग विभाग
    केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, रानीपूल
14. प्रो. एन. सत्यनारायण - सदस्य
    डीन, जीव विज्ञान विद्यापीठ
15. प्रो. एस.एस.शर्मा - सदस्य
    वरिष्ठ प्रोफेसर, वनस्पति विज्ञान विभाग
16. डॉ. ए.एन.शंकर - सदस्य
    सह प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग

प्रो इंदर मोहन कपाही व्यस्तता के कारण बैठक में शामिल नहीं हो सकें।

श्रीमती ग्रेस डी. चेंकापा, उप कुलसचिव और श्री सत्यम राणा , सहायक परिषद की सहायता के लिए उपस्थित थे।

परिषद ने नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक और कार्यकारिणी परिषद के सदस्य स्वर्गीय श्री ताशी डेंसपा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए दो मिनट की मौनता रखी और परिषद के सदस्य के रूप में उनके योगदान को स्वीकार किया।

प्रारंभ में कुलपति ने परिषद की 39वीं बैठक में सभी सदस्यों का स्वागत किया। कुलपति ने विशेष रूप से स्वागत प्रो. एच.सी.एस. राठौर , पूर्व कुलपति, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय और प्रो. एस.एस. महापात्र , डीन, व्यावसायिक अध्ययन विद्यापीठ का स्वागत किया , जो पहली बार बैठक में भाग ले रहे थे। कुलपति ने कार्यकारिणी परिषद में प्रो. कबिता लामा, डीन, भाषा और साहित्य विद्यापीठ के योगदान को स्वीकार किया।

इसके बाद एजेंडा विषयों पर चर्चा की गयी।

खंड -1

कार्यवृत्त की पुष्टि एवं कार्रवाई रिपोर्ट

ईसी 39.1.1: दिनांक 26 जुलाई 2021 को आयोजित कार्यकरिणी परिषद की 37वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

दिनांक 26 जुलाई 2021 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 37वीं बैठक का कार्यवृत्त दिनांक 09.08.2021 को सभी सदस्यों को परिचालित किया गया। परिषद ने मद सं. ईसी 37.4.4 पर प्रो. गुरमीत सिंह, कुलपति, पॉण्डिचेरी विश्वविद्यालय के सुझाव को नोट किया , जो इस प्रकार है कि "ब्लैक कैट डिवीजन" के साथ समझौता ज्ञापन के तहत किसी भी तरह के पाठ्यक्रम को पूरा करने वाले को जारी किए गए प्रमाणपत्रों के लिए विश्वविद्यालय के पास एक उचित रिकॉर्ड रखा जाएगा।

उसके बाद 26 जुलाई 2021 को हुई कार्यकारिणी परिषद की 37वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

ईसी 39.1.2: दिनांक 28 अक्टूबर 2021 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 38वीं (विशेष एवं आपात) बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

दिनांक 28 अक्टूबर 2021 को आयोजित कार्यकरिणी परिषद की 38वीं (विशेष और आपातकालीन) बैठक के कार्यवृत्त को सभी सदस्यों को 01.11.2021 को परिचालित किया गया। परिषद ने मद संख्या ईसी 38.1.1 के पर प्रो. बिद्युत चक्रवर्ती, कुलपति, विश्व भारती की टिप्पणी को नोट किया और उसे कार्यवृत्त में उचित रूप से शामिल किया गया था। साथ ही, डॉ. ए.के.शंकर, एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग की टिप्पणी जो कि आधिकारिक कार्यविधि के पालन के लिए युवा संकाय सदस्य को उचित परामर्श दिया जाएँ, को परिषद द्वारा नोट किया गया था ।

उसके बाद 28 अक्टूबर 2021 को हुई कार्यकारिणी परिषद की 38वीं (विशेष एवं आपात) बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

ईसी 39.1.3: दिनांक 26 जुलाई **2021** को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की **37**वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट

सचिव ने परिषद की 37वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की। परिषद ने विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्रवाई रिपोर्ट को नोट किया।

ईसी 39.1.4: दिनांक 28 अक्टूबर **2021** को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की **38**वीं (विशेष एवं आपात) बैठक के कार्यवृत्त पर कार्रवाई रिपोर्ट

सचिव ने परिषद की 38वीं (विशेष एवं आपात) बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की। परिषद ने विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्रवाई रिपोर्ट को नोट किया।

खंड -2
सूचनात्मक विषय

ईसी 39.2.1: डॉ. शिलाजीत गुहा से जुड़े मामले का अपडेट

परिषद को सूचित किया गया कि डॉ. शिलाजीत गुहा ने सिक्किम के माननीय उच्च न्यायालय में दिनांक 16.12.2021 को अवमानना मामला (सी): 2021 की संख्या 4 द्वारा कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की। याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.10.2021 पर रोक लगा दी। परिषद ने इसको नोट किया।

ईसी9.2.2: कुलसचिव की नियुक्ति

दिनांक 23 अप्रैल, 2021 को ई-मेल के माध्यम से प्राप्त कार्यकारिणी परिषद के अनुमोदन के आधार पर श्री के.वी.एस. कामेश्वर राव को कुलसचिव के पद के लिए नियुक्ति प्रस्ताव दिया गया और तदनुसार, उन्होंने 19.07.2021 को विश्वविद्यालय में कार्यग्रहण किया।

परिषद ने विश्वविद्यालय के कुलसचिव के रूप में श्री के.वी.एस. कामेश्वर राव की नियुक्ति को नोट किया।

ईसी 39.2.2: वित्त अधिकारी की नियुक्ति

दिनांक 26 जुलाई 2021 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 37वीं बैठक के अनुमोदन के आधार पर श्री प्रताप केशरी दा श को वित्त अधिकारी के पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव कार्यग्रहण किया।

परिषद ने विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी के रूप में श्री प्रताप केशरी दश की नियुक्ति को नोट किया।

खंड -3

अनुसमर्थित विषय

ईसी 39.3.1: सीएएस योजना के तहत प्रोफेसर (शैक्षणिक स्तर 14) से वरिष्ठ प्रोफेसर (शैक्षणिक स्तर 15) में नियुक्ति के लिए चयन समिति की कार्यवाही

इस मद पर चर्चा करने से पहले प्रो. शांति एस शर्मा ने ऑनलाइन बैठक से खुद को अलग करने के लिए अध्यक्ष से अनुमति ली क्योंकि इसमें उनका मामला शामिल था। बाद में वे इसी मद पर चर्चा होने के बाद बैठक में शामिल हुए।

परिषद ने सीएएस योजना के तहत प्रोफेसर (शैक्षणिक स्तर 14) से वरिष्ठ प्रोफेसर (शैक्षणिक स्तर 15) में नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड नोट किया। परिषद ने यह भी नोट किया कि प्रो. शांति एस शर्मा , वनस्पति विज्ञान विभाग ने प्रोफेसर से वरिष्ठ प्रोफेसर के लिए उनकी नियुक्ति के मानदंड को पूरा किया जैसा कि निम्नानुसार है:

1. प्रो शांति स्वरूप शर्मा , वनस्पति विज्ञान विभाग ने दिनांक 19.09.2017 को विश्वविद्यालय में कार्यग्रहण किया । इससे पहले वे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय , शिमला में जैव विज्ञान विभाग में 27.07.2006 से सिक्किम विश्वविद्यालय में कार्यग्रहण करने तक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे। इसलिए, प्रोफेसर के रूप में उनकी न्यूनतम दस वर्ष की आवश्यकता पूरी होती है।
2. पिछले 10 वर्षों के दौरान सर्वश्रेष्ठ 10 प्रकाशनों की समीक्षा 3 विशेषज्ञों द्वारा की गई है, जिनका अनुभव वरिष्ठ प्रोफेसर या प्रोफेसर के रूप में कम से कम 10 वर्षों की सेवा से कम नहीं हैं। सभी ने अनुकूल समीक्षा प्रदान की है।
3. उन्होंने अपनी मूल्यांकन अवधि के दौरान 2 पीएचडी शोधार्थियों का सफलतापूर्वक मार्गदर्शन करने के मानदंडों को पूरा किया है।

दिनांक 04.10.2021 को विधिवत गठित चयन समिति की ऑनलाइन बैठक निम्नलिखित सदस्यों की उपस्थिति में हुई , जो संबंधित विषय में न्यूनतम दस वर्ष के अनुभव के साथ वरिष्ठ प्रोफेसर / प्रोफेसर के पद से नीचे के विशेषज्ञ नहीं हैं:

1. प्रो. मोहम्मद अनीस - यूजीसी बीएसआर फेलो , वनस्पति विज्ञान विभाग , अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष

2. प्रो. एस.बी. बब्बर - वरिष्ठ प्रोफेसर और अध्यक्ष, वनस्पति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

3. प्रो. अरुण के. पांडे - कुलपति, मानसरोवर ग्लोबल विश्वविद्यालय, भोपाल

विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 12(3) के प्रावधान के तहत कुलपति ने उपरोक्त चयन समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया और तदनुसार , प्रो. शांति स्वरूप शर्मा को दिनांक 05.10.2021 को जारी कार्यालय आदेश संख्या 302/2021 के तहत सीएएस के अधीन दिनांक 27.11.2020 से प्रोफेसर (शैक्षणिक स्तर 14) से वरिष्ठ प्रोफेसर (शैक्षणीक स्तर 15) में रखा गया था।

कार्यकारिणी परिषद ने उपरोक्त तीनों विशेषज्ञों को चयन समिति में नामित करने और चयन समिति की सिफारिश को स्वीकार करने और प्रो. शांति स्वरूप शर्मा से प्रोफेसर (अकादमिक स्तर 14) से वरिष्ठ प्रोफेसर (शैक्षणिक स्तर 15) तक पदोन्नति देने से संबन्धित कुलपति के कार्य की पुष्टि की।

ईसी 39.3.2: डीएसीपी योजना के तहत डॉ. मंजुश्री थापा मंगर को वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी से मुख्य चिकित्सा अधिकारी पद में पदोन्नति

कार्यकारिणी परिषद ने नोट किया कि डॉ. मंजुश्री थापा मंगर , वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी ने दिनांक 3 मई, 2021 को वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रूप में अपनी पांच साल की सेवा पूरी करने के बाद डीएवीपी योजना के तहत वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी से मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए सेवा आवश्यकता को पूरा किया।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित सेवा शर्तों को पूरा करने पर और 16 सितंबर, 2021 को विधिवत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अनुशंसित के अनुसार कुलपति ने विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 12 (3) के प्रावधान के तहत विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया और तदनुसार , डॉ. मंजुश्री थापा मंगर को डीएसीपी योजना के तहत 28.09.2021 को जारी कार्यालय आदेश संख्या 293/2021 द्वारा वेतन स्तर 12 में दिनांक 04.05.2021 से वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी से मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया था।

कार्यकारिणी परिषद ने डॉ. मंजुश्री थापा मंगर को वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी से मुख्य चिकित्सा अधिकारी पद में पदोन्नति देने के कार्य की पुष्टि की।

ईसी 39.3.3: डीएसीपी योजना के तहत डॉ. लोक बहादुर लिम्बू को चिकित्सा अधिकारी से वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी पद में पदोन्नति

कार्यकारिणी परिषद ने नोट किया कि डॉ. लोक बहादुर लिम्बू, चिकित्सा अधिकारी ने दिनांक 24 जुलाई, 2021 को चिकित्सा अधिकारी के रूप में अपनी चार साल की सेवा पूरी करने के

बाद डीएवीपी योजना के तहत चिकित्सा अधिकारी से वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए सेवा आवश्यकता को पूरा किया।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित सेवा शर्तों को पूरा करने पर और 16 सितंबर, 2021 को विधिवत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अनुशंसित के अनुसार कुलपति ने विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 12 (3) के प्रावधान के तहत विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, डॉ. लोक बहादुर लिम्बू को डीएसीपी योजना के तहत 28.09.2021 को जारी कार्यालय आदेश संख्या 292/2021 द्वारा वेतन स्तर 1 1 में दिनांक 25.07.2021 से चिकित्सा अधिकारी से वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया था।

कार्यकारिणी परिषद ने डॉ. लोक बहादुर लिम्बू को चिकित्सा अधिकारी से वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी पद में पदोन्नति देने के कार्य की पुष्टि की।

ईसी39.3.4: कार्यकारिणी परिषद के एक सदस्य को वित्त समिति के सदस्य के रूप में नामांकन

कार्यकारिणी परिषद ने उल्लेख किया कि सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम के संविधि -17 (1) (iv) में कहा गया है कि " कार्यकारिणी परिषद द्वारा तीन ऐसे व्यक्तियों को नामित किए जाने हैं, जिनमें से कम से कम एक कार्यकारिणी परिषद का सदस्य होगा" जो वित्त समिति के सदस्य के रूप में शामिल होंगे उक्त संविधि के तहत, निम्नलिखित सदस्यों को कार्यकारिणी परिषद द्वारा वित्त समिति के लिए नामित किया गया था:

1. प्रो देबी पी. सरकार , निदेशक, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान , मोहाली, पंजाब
2. प्रो. प्रमोद टंडन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोटेक पार्क, लखनऊ और पूर्व कुलपति, नेहू, शिलांग
3. प्रो एस.एस. महापात्र, प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, सिक्किम विश्वविद्यालय।

प्रो. सरकार और प्रो. टंडन ने दिनांक 28.10.2021 को वित्त समिति में अपना कार्यकाल पूरा किया। प्रो एस.एस. महापात्र कार्यकारिणी परिषद में सदस्यता काल पूर्ण होने के बाद वित्त समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

परिषद ने यह भी नोट किया कि वित्त समिति में गणपूर्ति की कमी को देखते हुए , कुलपति ने उपरोक्त सदस्यों के स्थान पर निम्नलिखित सदस्यों को वित्त समिति में नामित किया:

1. प्रो प्रमोद टंडन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोटेक पार्क, लखनऊ और पूर्व कुलपति, नेहू, शिलांग (एक और कार्यकाल के लिए पुन: नामित)
2. सीएमए डॉ. ब्रज बी मिश्रा, वित्त अधिकारी, तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर
3. डॉ. ए. एन. शंकर, एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, सिक्किम विश्वविद्यालय

परिषद ने उपरोक्त सदस्यों को वित्त समिति के लिए 17(1)(iv) के तहत नामित करने के लिए कुलपति की कार्रवाई की पुष्टि की।

ईसी39.3.5: आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी के रूप में श्री सी.बी. छेत्री की प्रतिनियुक्ति अवधि का विस्तार

कार्यकारिणी परिषद ने नोट किया कि कुलपति द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी के रूप में श्री सी.बी. छेत्री की प्रतिनियुक्ति अवधि को दिनांक 01.06.2021 को जारी कार्यालय आदेश सं 195/2021 द्वारा 01.07.2021 से एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है।

परिषद ने 1 जुलाई 2021 से एक वर्ष के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी के रूप में श्री सी बी छेत्री की प्रतिनियुक्ति को बढ़ाने के लिए कुलपति की कार्रवाई की पुष्टि की।

ईसी39.3.6: डॉ. संघमित्रा चौधुरी, सहायक प्राध्यापक की कार्यमुक्ति

कार्यकारिणी परिषद ने नोट किया कि शांति और द्वंद्व अध्ययन और प्रबंधन विभाग के सहायक प्रोफेसर और एक नियमित संकाय सदस्य में कार्यरत डॉ. संघमित्रा चौधरी ने व्यक्तिगत कारणों से दिनांक 17.11.2021 के पत्र के माध्यम से अपना इस्तीफा दिया और सेवामुक्त करने हेतु निवेदन किया।

परिषद ने यह भी नोट किया कि संविधि 26(6)(ए) के तहत विश्वविद्यालय की नीति के अनुसार तीन महीने की सूचना अवधि से कम अवधि के एवज में नोटिस वेतन जमा करने के लिए कहा गया था।

कुलपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया और उन्हें विश्वविद्यालय की सेवाओं से दिनांक 30.11.2021 (अपराह्न) से मुक्त कर दिया।

परिषद ने कुलपति की उपरोक्त कार्रवाई की पुष्टि की।

ईसी 39.3.7: सिक्किम विश्वविद्यालय और शैक्षिक और सामाजिक अध्ययन केंद्र के बीच सहमति ज्ञापन

कार्यकारिणी परिषद ने उल्लेख किया कि सिक्किम विश्वविद्यालय और शैक्षिक और सामाजिक अध्ययन केंद्र (सीईएसएस), बैंगलोर के बीच दिनांक 8 दिसंबर, 2021 को गंगटोक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के सहयोगी प्रशिक्षण, अनुसंधान और कार्यान्वयन की सुविधा के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। अन्य सहयोग के अलावा, इस समझौता ज्ञापन का प्राथमिक उद्देश्य यह है कि सीईएसएस सिक्किम विश्वविद्यालय और उसके संबद्ध महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के कार्यान्वयन के लिए पहल और प्रक्रिया का समर्थन और सलाह देने में अपनी सेवाएं प्रदान करेगा।

परिषद ने शैक्षिक और सामाजिक अध्ययन केंद्र , बैंगलोर के साथ विश्वविद्यालय द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने में कुलपति की कार्रवाई की पुष्टि की।

खंड – 4

विचारार्थ एवं अनुमोदनर्थ विषय

ईसी 39.4.1: शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि सम्पूर्ण

परिषद ने नोट किया कि विश्वविद्यालय के निम्नलिखित शिक्षकों ने प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तिथि पर एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली है:

क्र. सं.	नाम	पदनाम	कार्यग्रहण की तिथि	परिवीक्षा समाप्त होने की तिथि
1	प्रो. संजय दाहाल	प्रोफेसर	29.10.2020	28.10.2021
2	डॉ. भोज कुमार आचार्य	सह प्राध्यापक	01.10.2020	30.09.2021
3	डॉ. अमित चक्रबोर्ती	सह प्राध्यापक	15.10.2020	14.10.2021
4	डॉ. नितीश मंडल	सह प्राध्यापक	16.10.2020	15.10.2021
5	डॉ. राजेश कुमार	सहायक प्राध्यापक	06.10.2020	05.10.2021
6	श्री येशे नामग्याल भूटिया	सहायक प्राध्यापक	06.10.2020	05.10.2021
7	डॉ. सुमणिमा राई	सहायक प्राध्यापक	07.10.2020	06.10.2021
8	सुश्री रिंचेन ओंगमू लेप्चा	सहायक प्राध्यापक	15.10.2020	14.10.2021
9	डॉ. निंगठौजम कोइरेम्बा	सहायक प्राध्यापक	20.11.2021	19.11.2021
10	श्री मींगमा ओंगमु लेप्चा	सहायक प्राध्यापक	11.12.2020	10.11.2021
11	श्री आश बहादुर सुब्बा	सहायक प्राध्यापक	15.12.2020	14.12.2021

परिषद ने यह भी नोट किया कि संबंधित समीक्षा प्राधिकारी द्वारा उनके प्रदर्शन की समीक्षा की गई है और संतोषजनक प्रदर्शन रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं होने को देखते हुए परिषद ने उनकी परिवीक्षा को समाप्त करने और ऊपर उल्लेखित के अनुसार उनकी परिवीक्षा अवधि पूरी करने की तिथि के अगले दिन से विश्वविद्यालय की सेवाओं में उनकी पुष्टि करने के लिए मंजूरी दे दी है।

ईसी39.4.2: सीएएस के तहत सहायक प्रोफेसरों के चरण I से चरण II तक पदोन्नति के लिए जांच सह मूल्यांकन समिति की कार्यवाही

परिषद ने नोट किया कि डॉ . विश्वजीत गोपाल रॉय के संबंध में जांक-सह-मूल्यांकन समिति की बैठक 6 मार्च 2020 को आयोजित की गई थी , जहां डॉ विश्वजीत गोपाल रॉय ने मौखिक रूप से समिति को गणना किए जानेवाले अपने पोस्ट-डॉक्टरल अनुभव और सीएएस के तहत सहायक प्रोफेसर (शैक्षणिक स्तर 10) से सहायक प्रोफेसर (शैक्षणिक स्तर 11) के लिए

उनकी पदोन्नति के लिए पात्रता की तारीख की गणना करते समय उन्हें एक वर्ष तक का लाभ दिये जाने से के बारे में प्रस्तुत किया था। कार्यकारिणी परिषद ने 11.09.2020 को आयोजित 35 वीं बैठक में इस मामले पर चर्चा की और सभी प्रासंगिक दस्तावेजी साक्ष्य सत्यापित होने तक उनके द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण के तहत इसे स्थगित रखने का निर्णय लिया।

परिषद ने यह भी नोट किया कि डॉ. विश्वजीत गोपाल रॉय ने अतिरिक्त प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत किए और उन्हें स्टेज I से स्टेज II तक प्लेसमेंट के लिए योग्य पाया गया। यूजीसी विनियमों के अनुसार गठित जांच सह मूल्यांकन समिति ने 8 नवंबर 2021 को बैठक की और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

कार्यकारिणी परिषद ने दिनांक 23.04.2017 से चरण I से चरण II तक डॉ. बिस्वजीत गोपाल राय की नियुक्ति के लिए जांच सह मूल्यांकन समिति की सिफारिशों को मंजूरी दी।

ईसी39.4.3: शिक्षण कर्मचारियों के अनुबंधों का विस्तार

परिषद ने निम्नलिखित शिक्षण कर्मचारियों के अनुबंध को उनकी सेवाओं की आवश्यकता को देखते हुए मौजूदा नियम एवं शर्तों पर दिनांक 1 जनवरी 2022 से छह महीने की अवधि के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, जब तक कि नियमित संकाय नियुक्त नहीं किया जाता है।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	विभाग
1.	प्रो. इम्तियाज़ गुलाम अहमद	प्रोफेसर	विधि
3.	प्रो. विनोद चंद्र तिवारी	प्रोफेसर	भूविज्ञान
4.	श्री भाईचुंग छिरिंग भूटिया	सह प्राध्यापक	भूटिया
5.	डॉ. हिस्से वांगचुक भूटिया	सहायक प्राध्यापक	
6.	श्री बल बहादुर सुब्बा	सह प्राध्यापक	लिम्बू
7.	श्री नोरबू छिरिंग लेप्चा	सह प्राध्यापक	लेप्चा
8.	सुश्री डुकमित लेप्चा	सहायक प्राध्यापक	
9.	डॉ. आर.एस.एस.नेहरू	सहायक प्राध्यापक	शिक्षा

ईसी 39.4.4: वार्षिक रिपोर्ट 2020-21

परिषद को बताया गया कि विश्वविद्यालय की 14वीं वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 तैयार कर ली गई है, जिसके लिए प्रो. शांति एस. शर्मा की अध्यक्षता में एक संपादकीय समिति का गठन किया गया था। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय और इसके विभिन्न शैक्षणिक विभागों की समग्र उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए मसौदा वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 का सारांश संपादकीय समिति के अध्यक्ष द्वारा परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

इसके बाद, परिषद ने विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के मसौदे को मंजूरी दी और यह भी चाहा कि एक प्रति सदस्यों को परिचालित की जाए।

ईसी 39.4.5: लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा और पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट (एसएआर) 2020-

कार्यकारिणी परिषद ने अपनी 30वीं बैठक में वित्त समिति की सिफारिश पर लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा और पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट (एसएआर) 2020-21 को मंजूरी दी और स्वीकार किया। विशेष रूप से सदस्य प्रो. एच.सी.एस. राठौर ने एसएआर 2020-21 में विश्वविद्यालय के खिलाफ कोई प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त नहीं होने के लिए वित्तीय टीम को उनके काम के लिए बधाई दी।

ईसी 39.4.6: डॉ. राम भवन यादव, सहायक प्राध्यापक, अंग्रेजी विभाग को अर्थदंड लगाना

कार्यकारिणी परिषद ने पाया कि 28.10.2021 को हुई परिषद की 38वीं बैठक में सीसीएस (सीसीए) नियम के नियम 16 के तहत डॉ. राम भवन यादव को जारी किए जाने वाले आरोप ज्ञापन को मंजूरी दी गई थी और उन्हें 02.11.2021 को जारी किया गया था।

परिषद ने यह भी नोट किया कि डॉ. राम भवन यादव ने दिनांक 22.11.2021 के ज्ञापन के प्रत्युत्तर में अपना लिखित बयान प्रस्तुत किया , जिसमें आंशिक रूप से अभियोग के बयान को स्वीकार करते हुए , उन्होंने बार-बार अपने शोधार्थी के साथ सहमति से संबंध होने की पुष्टि की है, जिससे कदाचार/दुर्व्यवहार सिद्ध होता है।

तद्नुसार, कार्यकारिणी परिषद ने दिनांक 26.07.2021 को हुई परिषद की 37वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार डॉ. रामभवन यादव के विरुद्ध दंड लगाने के अपने निर्णय के कार्यान्वयन को स्वीकृति प्रदान की:

> नियम 11 (iv) के तहत .....की मामूली जुर्माना लगाना अर्थात बिना संचयी प्रभाव के तीन साल के लिए वेतन वृद्धि को रोकना। इसे तीन साल की अवधि के अंत में बहाल किया जाना है।
>
> इसके अतिरिक्त, परिषद ने निम्नलिखित जुर्माना लगाने का भी निर्णय लिया:

i) उन्हें तीन वर्ष के लिए विश्वविद्यालय में किसी भी प्रशासनिक पद या किसी समिति के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में पदधारण करने से रोकना।
ii) उन्हें अपने पर्यवेक्षण में अपने वर्तमान विद्वानों सहित किसी भी एमफिल/पीएचडी की 3 साल के लिए पर्यवेक्षण करने से रोकना।

ईसी39.4.7: कैरियर उन्नति योजना के तहत विनियम

परिषद ने उल्लेख किया कि 08.02.2019 को आयोजित परिषद की 32वीं बैठक में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्च शिक्षा के लिए निर्धारित मानकों के संरक्षण के उपायों पर यूजीसी विनियम 2018 को विश्वविद्यालय द्वारा अपनाया गया था।

तदनुसार, विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए कैरियर उन्नति योजना के संदर्भ में उक्त विनियम का पालन कर रहा है। खंड 6.3 VI. (iii) में निम्नलिखित बातों को दर्शाता है :

(iii) प्रार्थी जो पहले मूल्यांकन में सफल नहीं होता है , उसे एक वर्ष के बाद ही पुनर्मूल्यांकित किया जाना होगा। जब ऐसे प्रार्थी अंतिम मूल्यांकन में सफल हो जाता है, तो उसकी पदोन्नति अस्वीकृति की तारीख से एक वर्ष मानी जाएगी।

परिषद ने यह भी नोट किया कि असफल प्रार्थियों के लिए उपरोक्त निर्धारित मानदंड ऐसी एक आदर्श स्थिति में उपयुक्त होंगे, जब विश्वविद्यालय एक व्यवस्थित और समयबद्ध तरीके से कैरियर उन्नति योजना के तहत पदोन्नति करने की स्थिति में होंगे। हालांकि, हो सकता है कि मामला हकीकत में ऐसा न हो। एक प्रार्थी एक निश्चित वर्ष में योजना के तहत पदोन्नति के लिए आवेदन कर सकता है, हालांकि, कई बाधाओं के कारण, सिस्टम में आवेदनों की समीक्षा में समय लग सकता है और इसलिए , मूल्यांकन परिणाम केवल एक वर्ष के समय-सारिणी से बहुत अधिक हो सकता है।

उदाहरण के लिए, वर्तमान परिदृश्य में यदि किसी प्रार्थी ने 2018 में करियर उन्नति योजना के लिए आवेदन किया है और विश्वविद्यालय द्वारा मूल्यांकन में देरी हो रही है और 2020 में कोविड या अन्य अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण आयोजित नहीं किया गया है , तो मूल्यांकन पर अस्वीकृति की तिथि 2020 होगी और इसलिए , प्रार्थी को केवल 2020 से एक वर्ष के बाद यानी 2021 में पुनर्मूल्यांकन के लिए अनुमति दी जाएगी और अंतिम मूल्यांकन में यदि प्रार्थी सफल होता है तो पदोन्नति अस्वीकृति की तारीख से एक वर्ष होगी यानी केवल 2021 से प्रभावी होगी। इसलिए, कोई गलती किए हुए प्रार्थी तीन साल का घाटा हो रहा है जो इन नियमों के इरादे से बहुत परे है और उम्मीदवार के लिए अनुचित है।

इसलिए, ऐसी स्थितियों को दूर करने के लिए जो उम्मीदवार की गलती के बिना किसी के करियर पर गंभीर प्रभाव डाल सकती हैं, अस्वीकृति की तारीख से एक वर्ष के बजाय पदोन्नति की तारीख को उसकी पात्रता की तारीख से एक वर्ष माना जा सकता है। इसका मतलब यह है कि यदि किसी उम्मीदवार ने अपने मूल्यांकन के लिए आवेदन किया है और पहले मूल्यांकन में विफल होने के बाद एक वर्ष के बाद उम्मीदवार का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और अंतिम मूल्यांकन में सफल पाया जाता है तो उम्मीदवार को उसकी पात्रता की तिथि से एक वर्ष का नुकसान होगा जैसा कि नियमों में निर्धारित है। ।

कार्यकारिणी परिषद ने गहन विचार-विमर्श के बाद सुझाव दिया कि यूजीसी विनियम 2018 की धारा 6.3 VI. (iii) की व्याख्या नियम की भावना के अनुसार की जा सकती है , अर्थात, जो उम्मीदवार पहले मूल्यांकन में सफल नहीं होता है , उसका एक वर्ष के बाद ही पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। जब ऐसा उम्मीदवार अंतिम मूल्यांकन में सफल हो जाता है , तो उसकी पदोन्नति उसकी प्रारंभिक पात्रता की तारीख के एक वर्ष बाद मानी जाएगी

खंड -5

प्राधिकारणों/समितियों के कार्यवृत्त

ईसी 39.5.1: दिनांक 10 दिसंबर 2021 को आयोजित शैक्षणिक परिषद की बैठक का कार्यवृत्त

परिषद ने 10 दिसंबर, 2021 को आयोजित शैक्षणिक परिषद की 28वीं बैठक के कार्यवृत्त को नोट किया। परिषद ने विचार-विमर्श के बाद निम्नलिखित को विशिष्ट स्वीकृति दी:

i) शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 का कार्यान्वयन

ii) परीक्षा संबंधी नियमों एवं विनियमों में संशोधन के प्रस्ताव

iii) शैक्षणिक सत्र 2022-23 से विश्वविद्यालय में एमफिल पाठ्यक्रम को समाप्त करना

iv) सिक्किम विश्वविद्यालय में प्रवेश और भर्ती के दौरान सीए/सीएस/ आईसीडब्ल्यूए योग्यता को स्नातकोत्तर डिग्री के समकक्ष माना जाना चाहिए।

v) नर बहादुर भंडारी डिग्री महाविद्यालय, तादोंग में बीएससी सूक्ष्म जीव विज्ञान पाठ्यक्रम शुरू करने और शैक्षणिक सत्र 2021-22 से 20 छात्रों के प्रवेश के साथ पाठ्यक्रम के लिए अस्थायी संबद्धता प्रदान करना, बशर्ते कि निरीक्षण दल की रिपोर्ट में उल्लिखित शर्तों का पालन किया जाएँ।

vi) सिक्किम सरकारी महाविद्यालय , ग्यालशिंघ में बी.कॉम पाठ्यक्रम शुरू करना और निरीक्षण दल की रिपोर्ट में उल्लिखित शर्तों के अनुपालन के शर्त पर शैक्षणिक सत्र 2021-22 से 50 छात्रों के प्रवेश के साथ पाठ्यक्रम के लिए अस्थायी संबद्धता प्रदान करना।

vii) 12 महाविद्यालयों/विषयों को दी गयी अस्थाई सम्बद्धता का नवीनीकरण , बशर्ते कि निरीक्षण दल की रिपोर्ट में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन किया गया हो।

viii) 15 फरवरी 2017 की अपनी रिपोर्ट में निरीक्षण दल द्वारा उल्लिखित शर्तों का पालन करने में असमर्थता के लिए पैलेटाइन कॉलेज , पाक्योंग को दी गई विश्वविद्यालय की अस्थायी संबद्धता को वापस लेना।

ix) विश्वविद्यालय अध्यादेश के ओडी-1 की धारा 20 का संशोधन और "..... इस अध्यादेश के अंगीकरण....." के बाद निम्नलिखित वाक्य को शामिल करना

"हालांकि, दिनांक 13 जुलाई 2014 को आयोजित शैक्षणिक परिषद की 15 वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार स्थायी रूप से संबद्ध महाविद्यालयों का निरीक्षण तीन साल में एक बार निरीक्षण दल द्वारा किया जाएगा और निरीक्षण शुल्क के रूप में 2% गैर-संचयी वृद्धि के साथ □50,000 / - का शुल्क देना होगा।

खंड – 6

अध्यक्ष की ओर से विषय

शून्य

अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

हस्ता/-
(के.वी.एस.कामेश्वर राव)
कुलसचिव एवं सचिव
कार्यकारिणी परिषद

हस्ता/-
(प्रो. अविनाश खरे)
कुलपति एवं अध्यक्ष
कार्यकारिणी परिषद